

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए रोजगार

2345. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश के अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए योजना/कार्यक्रम लागू कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी और व्यय की गई निधि कितनी है; और
- (घ) प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री  
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): मंत्रालय आय सृजन गतिविधियों और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है :-

- (i) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी हेतु एससीए)
- (ii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) को सहायता
- (iii) अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत निगम नामतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) भारत में एससी और ओबीसी से संबंधित लोगों के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करते हैं।

(ख) से (घ): विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित निधियों और सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2345 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित

1. अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी हेतु एससीए)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां (लाख रुपए में)				कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की संख्या				सब्सिडी के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थी			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	2824.96	3377	5253.17	3996.03	5604	3417	एनआर	एनआर	43262	85108	74250	एनआर
2	असम	607.93	1413	0	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	5067	एनआर	एनआर	एनआर
3	बिहार	3886.91	0	600	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	63253	एनआर	एनआर	एनआर
4	छत्तीसगढ़	1699.2	6807	2148	1312.88	2787	2744	567	एनआर	13084	2022	3506	एनआर
5	गुजरात	1756.05	0	0	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	13522	एनआर	एनआर	एनआर
6	गोवा	0	0	0	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
7	हरियाणा	1752.26	1117	1534	0	एनआर	4894	एनआर	एनआर	13492	4894	एनआर	एनआर
8	हिमाचल प्रदेश	607.95	1300	962	1624.57	1403	2065	2014	एनआर	59795	86498	एनआर	एनआर
9	जम्मू और कश्मीर	307.48	407	371	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	2368	एनआर	एनआर	एनआर
10	झारखंड	1099.54	845	2243	1427.49	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	8466	एनआर	एनआर	एनआर
11	कर्नाटक	3197.29	8189	6355.44	0	6278	एनआर	एनआर	एनआर	24619	एनआर	एनआर	एनआर
12	केरल	550.73	1452	1137	983.33	2408	एनआर	एनआर	एनआर	8082	एनआर	एनआर	एनआर
13	मध्य प्रदेश	7880.06	4759	9178	5409.81	4978	7245	5360	एनआर	60676	9239	6259	एनआर
14	महाराष्ट्र	4234.14	0	0	6505.86	2322	एनआर	एनआर	एनआर	32603	एनआर	एनआर	एनआर
15	मणिपुर	26.5	0	90	71.54	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
16	ओडिशा	2404.72	5070	5267	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	18516	एनआर	एनआर	एनआर
17	पंजाब	5239.94	0	0	0	5033	6130	5341	एनआर	40348	865	13625	एनआर
18	राजस्थान	1441.22	5683	6498	0	1121	3600	4000	एनआर	33030	19511	14951	एनआर
19	सिक्किम	47.76	150	165	21.75	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	368	एनआर	एनआर	एनआर
20	तमिलनाडु	17846.2	5772	7407.47	7604.42	11533	11533	2505	एनआर	38278	23260	एनआर	एनआर
21	तेलंगाना*	3687.79	4168	3287	2613.77	571	एनआर	एनआर	एनआर	42712	18413	19324	एनआर
22	त्रिपुरा	905.62	2348	1470	0	735	2130	एनआर	एनआर	6973	10830	एनआर	एनआर



2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

(i) पिछले चार वर्षों (2015-16 से 2018-19) के दौरान ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत रोजगार प्रदान किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार संख्या

(संख्या में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0
2	आंध्र प्रदेश	3,650	4,405	2,030	14,481
3	असम	103	250	104	87
4	बिहार	4,590	2,751	3,328	120
5	चंडीगढ़	79	116	6	106
6	छत्तीसगढ़	117	681	362	342
7	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	0	0	5	0
8	दिल्ली	102	75	119	261
9	गोवा	1	1	1	1
10	गुजरात	1,990	5,247	695	694
11	हरियाणा	2,115	186	326	595
12	हिमाचल प्रदेश	272	54	34	58
13	जम्मू और कश्मीर	280	0	357	235
14	झारखंड	1,030	11	1,179	23
15	कर्नाटक	4,505	9,176	716	5,776
16	केरल	5,431	1,497	1,160	1,482
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0	0	0	1
18	मध्य प्रदेश	72	93	4,754	3,377
19	महाराष्ट्र	1,579	12	2,952	173
20	मणिपुर	340	345	1	0
21	मेघालय	0	0	0	6
22	मिजोरम	0	0	0	0
23	ओडिशा	28	116	269	277
24	पुडुचेरी	0	100	3	0
25	पंजाब	6	3,450	2,410	3,294
26	राजस्थान	2,072	2,874	3,190	694
27	सिक्किम	80	35	48	11
28	तमिलनाडु	5	9,032	14,933	331
29	तेलंगाना	2,707	2,783	280	840
30	त्रिपुरा	993	2,770	9,012	211
31	उत्तर प्रदेश	13,677	334	12,117	17,293
32	उत्तराखंड	656	9	229	138
33	पश्चिम बंगाल	25,036	35,373	47,453	30,343
	<b>कुल</b>	<b>71,516</b>	<b>81,776</b>	<b>1,08,074</b>	<b>81,250</b>

टिप्पणी: जनगणना - 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कोई अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

(ii) पिछले चार वर्षों (2015-16 से 2018-19) के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	434	341	450	515
2	असम	365	320	1190	1130
3	बिहार	1822	1380	698	930
4	चंडीगढ़	13	47	0	0
5	छत्तीसगढ़	240	280	255	530
6	दिल्ली	160	200	252	606
7	गोवा	50	0	0	0
8	गुजरात	460	575	150	154
9	हरियाणा	330	1128	878	220
10	हिमाचल प्रदेश	40	165	375	107
11	जम्मू और कश्मीर	50	50	250	120
12	झारखंड	193	540	415	630
13	कर्नाटक	860	900	454	849
14	केरल	350	240	626	257
15	मध्य प्रदेश	855	1491	1429	1589
16	महाराष्ट्र	460	505	440	801
17	मणिपुर	40	55	25	0
18	ओडिशा	526	500	767	980
19	पुडुचेरी	0	30	0	0
20	पंजाब	546	575	512	1054
21	राजस्थान	810	438	946	406
22	सिक्किम	56	0	0	0
23	तमिलनाडु	1213	1213	2069	2059
24	तेलंगाना	280	260	310	380
25	त्रिपुरा	200	100	788	123
26	उत्तर प्रदेश	2998	3225	2459	4327
27	उत्तराखंड	200	150	250	246
28	पश्चिम बंगाल	1254	2300	1100	1076
	<b>कुल</b>	<b>14805</b>	<b>17008</b>	<b>17088</b>	<b>19089</b>

(iii) अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)

राज्य	लाभार्थियों की संख्या (योजना के आरंभ होने से)
आंध्र प्रदेश	14
असम-उत्तर पूर्व	1
बिहार	2
छत्तीसगढ़	1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3
गुजरात	4
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	3
महाराष्ट्र	31
पांडिचेरी	2
पंजाब	4
तमिलनाडु	4
तेलंगाना	12
उत्तर प्रदेश	7
उत्तराखंड	2
पश्चिम बंगाल	1
कुल	94

(iv) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) को सहायता

क्रम सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
2	असम	0	0	0	0	0
3	बिहार	3653	0	0	0	0
4	चंडीगढ़	903	1037	1013	882	1900
5	छत्तीसगढ़	528	254	195	669	0
6	दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली	0	0	0	0	0
7	दिल्ली	16	40	130	178	203
8	गोवा	0	0	0	0	0
9	गुजरात	7722	5221	2339	1734	0
10	हरियाणा	5171	7089	5220	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1260	0
12	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
13	झारखंड	5442	0	0	0	0
14	कर्नाटक	2111	0	0	0	0
15	केरल	5578	5188	4675	4505	6240
16	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
17	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
18	ओडिशा	14765	13681	9908	9823	3418
19	पांडिचेरी	0	0	0	0	0
20	पंजाब	412	2996	1855	371	3594
21	राजस्थान	0	0	0	0	0
22	सिक्किम	32	83	60	35	39
23	तमिलनाडु	3057	0	0	0	0
24	त्रिपुरा		530	696	1204	1324
25	उत्तर प्रदेश	51342	40058	32004	28437	0
26	उत्तराखंड	2450	1849	1503	1482	396
27	पश्चिम बंगाल	73664	77490	65125	67186	55527
	कुल	176846	155516	124723	117766	72641

टिप्पणी: तमिलनाडु के लाभार्थियों में एससी और एसटी को संवितरित किए गए ऋण शामिल हैं।

(v)

योजना/कार्यक्रम का नाम	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20		
	ब.अ.	सं.अ.	वा.अ.	ब.अ.	सं.अ.	वा.अ.	ब.अ.	सं.अ.	वा.अ.	ब.अ.	सं.अ.	वा.अ.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	138.00	138.00	138.00	128.21	128.21	128.21	137.39	137.39	137.39	180.00		14.60
राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00		18.45
अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	140.00	10.00	10.00	60.00		36.00

(vi) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

वित्तीय वर्ष	ऋण आधारित योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या	ऋण आधारित योजनाओं के तहत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
2016-17	82,105	17,008
2017-18	1,08,340	17,088
2018-19	81,431	19,089
2019-20 (31.10.2019 की स्थिति के अनुसार)	52,273	17,568*

\*केवल संस्वीकृत

(vii) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी) को सहायता

वित्तीय वर्ष	ऋण आधारित योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या
2016-17	124723
2017-18	117766
2018-19	72641
2019-20 (31.10.2019 की स्थिति के अनुसार)	उपलब्ध नहीं

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(i) वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा

वास्तविक: लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/पीएसबी का नाम	वास्तविक		
		आवधिक ऋण योजना	सूक्ष्म वित्त	कुल
I.	<b>राज्य</b>			
1	आंध्र प्रदेश	110	0	110
2	असम	64	3000	3064
3	बिहार	1814	0	1814
4	छत्तीसगढ़	204	0	204
5	गुजरात	1451	1010	2461
6	गोवा	47	0	47
7	हरियाणा	1990	500	2490
8	हिमाचल प्रदेश	573	100	673
9	जम्मू और कश्मीर	320	980	1300
10	झारखंड	146	5	151
11	कर्नाटक	5276	16088	21364
12	केरल	8769	37315	46084
13	मध्य प्रदेश	494	117	611
14	मणिपुर	7	3000	3007
15	महाराष्ट्र	75	0	75
16	ओडिशा	44	0	44
17	पंजाब	845	8090	8935
18	राजस्थान	23	0	23
19	तमिलनाडु	2362	59253	61615
20	तेलंगाना	200	0	200
21	त्रिपुरा	4740	2650	7390
22	उत्तर प्रदेश	1560	2812	4372
23	पश्चिम बंगाल	467	1525	1992
	<b>उप योग राज्य ( 1 से 23)</b>	<b>31581</b>	<b>136445</b>	<b>168026</b>
II.	<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>	-	-	-
24	चंडीगढ़	1	0	1
25	दिल्ली	21	0	21
26	पुडुचेरी	507	2000	2507
	<b>उप योग ( 24 से 26)</b>	<b>529</b>	<b>2000</b>	<b>2529</b>
	<b>कुल ( I + II)</b>	<b>32110</b>	<b>138445</b>	<b>170555</b>

(ii) 2015-16 से 2019-20 तक एनबीसीएफडीसी द्वारा पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण का राज्य-वार ब्यौरा

(26.11.2019 तक)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
		प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	संस्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1676	460	1946	822
2	असम	714	1766	2420	3590
3	बिहार	1265	1125	520	1062
4	चंडीगढ़	50	0		90
5	छत्तीसगढ़	393	520	490	780
6	दिल्ली	328	159	639	512
7	गोवा	0	0	100	
8	गुजरात	433	105	480	1020
9	हरियाणा	1222	1162	1734	2015
10	हिमाचल प्रदेश	310	440	790	580
11	जम्मू और कश्मीर	575	424	560	200
12	झारखंड	393	935	500	570
13	कर्नाटक	706	339	559	314
14	केरल	429	615	580	1485
15	मध्य प्रदेश	1491	2975	2187	1999
16	महाराष्ट्र	253	451	660	1430
17	मणिपुर	257	230	657	610
18	मेघालय	0	0	150	200
19	मिजोरम	0	0		60
20	ओडिशा	955	863	1056	1663
21	पांडिचेरी	0	0		
22	पंजाब	956	538	1700	714
23	राजस्थान	1215	1910	290	1110
24	सिक्किम	70	25	420	420
25	तमिलनाडु	1778	645	570	1978
26	तेलंगाना	416	350	410	620
27	त्रिपुरा	190	1730	1280	1320
28	उत्तर प्रदेश	1976	2852	2673	3562
29	उत्तराखंड	165	125	750	530
30	पश्चिम बंगाल	532	2636	919	1570
	कुल	18748	23380	25040	30826*

\* प्रशिक्षण चल रहा है।

(iii) ऋण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि और जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	वर्ष	आवंटित धनराशि	जारी धनराशि
1	2016-17	476.61	387.36
2	2017-18	452.94	467.81
3	2018-19	593.57	524.28
4	2019-20 (26.11.2019 तक)	717.23	324.84

(iv) 2016-17 से 2019-20 तक एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	वर्ष	आवंटित निधि*	जारी/व्यय की गई धनराशि
1	2016-17	16.27	18.13
2	2017-18	28.75	21.86
3	2018-19	30.87	22.12
4	2019-20	58.98	18.92

\* प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्वीकृत धनराशि से संबंधित।

\*\*\*\*\*